

आदेश - पत्रक

आदेश की सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
22.3.22	न्यायालय उप समाहर्ता, भू०सु० सदर मेदिनीनगर। दा०खा० अपील वाद सं०- $\frac{XV}{07}$ / 2016-17 अपीलार्थी सुरेन्द्र सिंह विपक्षी भुखु यादव वगै० आदेश अपीलार्थी ने विद्वान अंचल अधिकारी, पांकी द्वारा दाखिल खारीज वाद सं०-207/2015-16 में दिनांक 19.09.2015 को ग्राम सालमदीरी थाना पांकी जिला पलामू के खाता नं०-01 प्लॉट नं०-26 रकबा 0.60 एकड़ भूमि की विपक्षी के नाम से पारित दाखिल खारीज आदेश के विरुद्ध दायर किया है। विपक्षी ने वर्ष 1997 में प्रश्नगत भूमि क्रय कर दखल कब्जा में रहने का दावा किया है। अपीलार्थी विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। अपीलार्थी द्वारा दायर मेमो ऑफ अपील में दावा किया गया है कि अपीलार्थी के कागजात एवं प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा के विन्दु पर बिना विचार किए ही आदेश पारित किया गया है जो दाखिल खारीज के नियमों के विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा मामले को रिमाण्ड करते हुए अंचल अधिकारी, पांकी को दोनों पक्षों का कागजात का अवलोकन करने एवं प्रश्नगत भूमि का स्थलीय जांच के बाद नये सिरे से नियमानुसार/विधि सम्मत आदेश पारित करने का निदेश दिया जाता है। इस निदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। उप समाहर्ता, भू०सु० सदर मेदिनीनगर।  उप समाहर्ता, भू०सु०, सदर मेदिनीनगर। माण्ड 327-1/भू०सु०/सं० 30.3.22 जिला पलामू के खाता नं०-01 प्लॉट नं०-26 रकबा 0.60 एकड़ भूमि की विपक्षी के नाम से पारित दाखिल खारीज आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। उप समाहर्ता-भू०सु० सदर मेदिनीनगर।	2 22/3